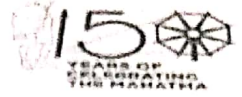




राजस्थान सरकार
वन विभाग



क्रमांक प.1(38)वन/2018

जयपुर, दिनांक :- 11 JUN 2020

अति० प्रधान मुख्य वन संरक्षक (केन्द्रीय)
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
क्षेत्रीय कार्यालय (मध्यक्षेत्र)
पंचम तल केन्द्रीय भवन, सैक्टर-एच
अलीगंज, लखनऊ-226024

विषय:- Diversion of 3.92 ha. (3.01 ha. in Ajmer forest Division & 0.91 ha. in Nagaur Forest Division) of forest land in favour of Executive Engineer, Rajasthan Rajya Vidhyut Prasaran Nigam Limited, Ajmer for construction of 220 KV D/C Ajmer-Bhairunda Transmission Line in Ajmer & Nagaur district.

संदर्भ:- आपका पत्रांक 8बी/राज/04/19/2018/एफसी/230 दिनांक 28.06.2018 .

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित सैद्धान्तिक स्वीकृति के क्रम में प्रधान मुख्य वन संरक्षक, प्रोटेक्शन एवं नोडल अधिकारी, एफसीए, राजस्थान जयपुर के पत्र क्रमांक एफ. 14 (TRANS) 2017/एफसीए/प्रमुवस/1257 दिनांक 28.05.2020 द्वारा प्रेषित बिन्दुवार अनुपालना रिपोर्ट इस कार्यालय की सहमति सहित प्रेषित कर अनुरोध है कि विषयाकित प्रस्ताव के संबंध में आवश्यक स्वीकृति शीघ्र जारी करवाने का श्रम करावे।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार

भवदीय
(डॉ. दीप नारायण पाण्डेय)
शासन सचिव